

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2270

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

होम्योपैथी चिकित्सकों द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस

2270. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) होम्योपैथिक चिकित्सकों को आधुनिक औषध विज्ञान में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीएमपी) पूरा करने के बाद एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस की अनुमति देने के पीछे क्या तर्क है;
- (ख) महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) द्वारा होम्योपैथ को आधुनिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस की अनुमति देने के निर्णय के बाद रोगियों की सुरक्षा और उपचार की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने एलोपैथी में सीमित प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा लापरवाही या गलत निदान के जोखिमों का सीसीएमपी के माध्यम से आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या एमएमसी के नए निर्देश के बाद होम्योपैथिक और एलोपैथिक उपचार विधियों के बीच ओवरलैप और संघर्ष को रोकने के लिए कोई नियामक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): "जन स्वास्थ्य" विषय राज्य का विषय है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, होम्योपैथिक डॉक्टरों को सीसीएमपी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने की अनुमति प्रदान करने का औचित्य राज्य में जनता को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है। सीसीएमपी पाठ्यक्रम शुरू करने का कदम महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में दोनों राज्य विधानमंडलों में कानून पारित करवाकर और महाराष्ट्र होम्योपैथी प्रैक्टिशनर एक्ट, 1960 और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1965 में दिनांक 25.6.2014 के राजपत्र (प्रतिलिपि 'संलग्नक' के रूप में संलग्न) के माध्यम से संशोधनों के माध्यम से उठाया था। पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए डिज़ाइन किया गया आधुनिक फार्माकोलॉजी (सीसीएमपी) सर्टिफिकेट कोर्स एक वर्ष की अवधि है, जिसे क्लिनिकल मेडिसिन बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक के चिकित्सा संकाय और शैक्षणिक परिषद द्वारा पारित किया गया था। होम्योपैथिक पाठ्यक्रम और एमबीबीएस पाठ्यक्रम के तुलनात्मक अध्ययन के बाद, होम्योपैथिक पाठ्यक्रम में अंतर को पाटने और पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टरों को एलोपैथी का अभ्यास करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को तैयार किया गया था। इस पाठ्यक्रम में एलोपैथी के सभी नैदानिक विषयों में प्रायोगिक और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण के साथ-साथ अस्पताल में रोटेशनल प्रशिक्षण भी शामिल है। यह पाठ्यक्रम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित होता है और इसकी परीक्षा मेडिसिन संकाय, एमयूएचएस, नासिक द्वारा आयोजित की जाती है।

(ख) से (ड): एमयूएचएस नासिक द्वारा सीसीएमपी पाठ्यक्रम तैयार करते समय और राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1960 और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1965 में संशोधन करते समय मरीजों की सुरक्षा और उपचार की प्रभावकारिता तथा अन्य सभी कारकों पर विधिवत विचार किया गया था। सीसीएमपी कोर्स पूरा करने के बाद पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टर मरीजों को केवल तभी एलोपैथिक उपचार प्रदान करेंगे जब इसकी आवश्यकता हो और इसकी सीमा सीसीएमपी कोर्स उत्तीर्ण करके प्राप्त ज्ञान तक होगी। सीसीएमपी कोर्स पूरा कर चुके पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा किसी भी लापरवाही या गलत निदान के मामले में, वह अन्य एलोपैथिक डॉक्टर की तरह एमएमसी अधिनियम की धारा 10 (ग) के तहत जांच का सामना करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, होम्योपैथिक और एलोपैथिक उपचार विधियों के बीच ओवरलैप/संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता।
